INFRASTRUCTURE SHARING WITH LCOS

TRAI issued its recommendations on Monopoly/ Market dominance in the cable TV services . This section discusses issues related to Infrastructure sharing at LCO level

INFRASTRUCTURE SHARING AT LCO LEVEL

"What should be the norms of sharing infrastructure at the level of LCO to enable broadband services through the cable television infrastructure for last mile access? Is there a possibility that LCO may gain undue market control over broadband and other services within its area of operation? If yes, suggest suitable measures to prevent such market control. Provide detailed comments and justify your answer."

In this regard, many MSOs, highlighted that provisioning of high-speed broadband services using the fiber network of LCOs would require an upgradation of LCO's network to the latest available technology, that calls for huge investments and support from the government. These MSOs also urged TRAI to grant 'infrastructure status' to Broadcasting & Cable industry and thereby allowing the MSOs and the LCOs to access the following benefits:

a. Capital borrowing should become cheaper for upgrading technologies and optical fiber network.
b. Considerable reductions in interest rates shall be allowed for long term borrowings.
c. Ease in getting higher external borrowing
d. Special financial assistances from external agencies like India Infrastructure Finance Co, IDFC etc. to be extended to broadcasting sector.
e. Tax holiday as per 80-1A of Income Tax Act.
f. Exemption from paying custom duties on Optical Line Terminal (OLTs), Optical Network Units (ONUs), Network Operations Centre (NOC) infrastructure, that are used for providing broadband services,

TRAI
सत्यमेव जयते
Telecom Regulatory Authority of India
(IS/ISO 9001-2008 Certified Organisation)

एलसीओ के साथ बुनियादी ढ़ांचा साझा करना

ट्राई ने केबल टीवी सेवाओं में एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं। यह खंड एलसीओ स्तर पर बुनियादी ढ़ांचे के बंटवारे से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करता है।

एलसीओ स्तर पर बुनियादी ढ़ांचा साझा करना

अंतिम छोर तक पहुंच के लिए केबल टेलीविजन बुनियादी ढ़ांचे के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं को सक्षम करने के लिए एलसीओ के स्तर पर बुनियदी ढ़ांचे को साझा करने के मानदंड क्या होने चाहिए?क्या इसकी संभावना है कि एलसीओ अपने परिचालन के क्षेत्र ब्रॉडबैंड और अन्य सेवाओं पर अनुचित बाजार नियंत्रण हासिल कर सकता है?यदि हां, तो ऐसे बाजार नियंत्रण को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय सुझायें। विस्तृत टिप्पणियां दें और अपने उत्तर की पुष्टि करें।

इस संबंध में कई एमएसओ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एलसीओ के फाइबर नेटवर्क का उपयोग करके हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रावधान के लिए एलसीओ के नेटवर्क को नवीनतम उपलब्ध तकनीक में अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए सरकार से भारी निवेश और समर्थन की आवश्यकता होती है। इन एमएसओ ने ट्राई से प्रसारण और केबल उद्योग को 'बुनियादी ढ़ांचे का दर्जा देने का भी आग्रह किया और इस तरह एमएसओ व एलसीओ को निम्नलिखित लाभों तक पहुंचाने की अनुमति दीः

ए. तकनीकियों और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के अपग्रेड के लिए पूंजी उधार सस्ता हो जाना चाहिए।
बी. लंबी अवधि के उधर के लिए ब्याज दरों में उल्लेखनीय कटौती की अनुमति दी जाये।
सी. अधिकाधिक बाहरी उधार प्राप्ति को आसान बनाना
डी. प्रसारण क्षेत्र को बाहरी एजेंसियों जैसे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, आईडीएफसी आदि से विशेष वित्तीय सहायता दी जायेगी।
ई. आयकर अधिनियम के **80–1**ए के अनुसार कर से छूट होनी चाहिए।
एफ. ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल (ओएलटी), ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट्स (ओएनयू), नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर (एनओसी) इंफ्रॉस्ट्रक्चर पर सीमा शुल्क का भुगतान करने से छूट, जो ब्रॉडबैंड सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

g. Providing impetus to indigenous manufacturing of OLTs, ONUs and NOC related infrastructure ensuring that the indigenous products are available at comparable prices.

Also, an association requested TRAI to consider granting of 'infrastructure status' to the network of LCOs.

An MSO opined that infrastructure sharing at LCO level will facilitate to establish broadband service to rural areas where even big ISPs find it difficult to develop their own infrastructure for effective broadband service. Regulator can adopt some policies for mandatory sharing of infrastructure at LCOs level for speedy and complaint free service to customers in a competitive environment.

A broadcaster pointed out that LCOs already connect their network with other ISP to provide last mile connectivity to their customers for not only the cable services but also the broadband services. Hence, regulatory intervention may not be required. Similarly, a large number of stakeholders highlighted that in West Bengal maximum LCOs share their own infrastructure of cable TV with the ISPs to enable broadband service to the users and enough competition exists here. Therefore, the stakeholder has suggested that there is no need for any intervention.

However, on the other hand, a broadcaster emphasized that there shall not be sharing of infrastructure at the LCO level, as LCO may gain undue market control at ground level. Similarly, a DTH operator commented that if broadband services are enabled solely through the Cable Operators then they will certainly gain undue market control over broadband and other services within its area of operation.

An individual suggested that 'Recommendations on Sharing of Infrastructure in Television Broadcasting Distribution Sector may be used to its full potential both in the interest of customer and 'Television Broadcasting Distribution Sector.

TRAI'S COMMENTS AND ANALYSIS

Globally, cable TV broadband (CATV) has become very popular as it is less expensive, quick to deploy and easier to handle. CATV broadband is usually offered to customers via the existing CATV network. This infrastructure can deliver higher broadband speeds with

जी. ओएलटी, ओएनयू और एनओसी से संबंधित बुनियादी ढ़ांचे के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित करना की स्वदेशी उत्पाद प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध है।

साथ ही एसोसिएशन ने ट्राई से एलसीओ के नेटवर्क को 'बुनियादी ढ़ांचे का दर्जा' देने पर विचार करने का भी अनुरोध किया।

एक एमएसओ ने कहा कि एलसीओ स्तर पर बुनियादी ढ़ांचे को साझा करने ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉटबैंड सेवा स्थापित करने में आसानी होगी, जहां बड़े आईएसपी को भी प्रभावी ब्रॉडबैंड सेवा के लिए अपने स्वयं के बुनियादी ढ़ांचे को विकसित करना मुश्किल लगता है। प्रतिस्पर्धी माहौल में ग्राहकों को त्वरित और शिकायत मुक्त सेवा के लिए एलसीओ स्तर पर बुनियदी ढ़ांचे को अनिवार्य रूप से साझा करने के लिए नियामक कुछ नीतियां अपना सकते हैं।

एक प्रसारक ने बताया कि एक एलसीओ न केवल केबल सेवाओं के लिए बल्कि ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए अपने ग्राहकों को अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पहले से ही अपने नेटवर्क को अन्य आईएसपी के साथ जोड़ते हैं। इसलिए, नियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसी तरह बड़ी संख्या में हितधारकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पश्चिम बंगाल में अधिकतम एलसीओ केबल टीवी के अपने बुनियदी ढ़ांचे को आईएसपी के साथ साझा करते हैं ताकि उपयोगकर्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान की जा सके और यहां पर्याप्त प्रतिस्पर्धा मौजूद है। इसलिए हितधारकों ने सुझाव दिया कि यहां किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि दूसरी ओर प्रस्सारकों ने जोर दिया कि एलसीओ स्तर पर बुनियादी ढ़ांचे को साझा नहीं किया जायेगा, क्योंकि एलसीओ जमीनीस्तर पर अनुचित बाजार नियंत्रण हासिल कर सकता है। इसी तरह, एक डीटीएच ऑपरेटर ने टिप्पणी की कि यदि ब्रॉडबैंड सेवाओं को केवल केबल ऑपरेटरों के माध्यम से सक्षम किया जाता है तो वे निश्चित रूप से अपने संचालन के क्षेत्र में ब्रॉडबैंड और अन्य सेवाओं पर अनुचित बाजार नियंत्रण हासिल कर लेंगे।

एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि 'टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर में बुनियदी ढ़ांचे को साझा करने की सिफारिशों का इस्तेमाल ग्राहक और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर दोनों के हित में अपनी पूरी क्षमता के लिए किया जा सकता है।

ट्राई की टिप्पणियां और विश्लेषण

विश्वस्तर पर केबल टीवी ब्रॉडबैंड (सीएटीवी) बहुत लोकप्रिय हो गया है क्योंकि यह कम खर्चीला है, जल्दी से तैनात किया जा सकता है और इसे संभालना आसान है। सीएटीवी ब्रॉडबैंड आमातौर पर मौजूदा सीएटीवी नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों को दिया जाता है। यह बुनियादी

reliability as compared to DSL. In India, Cable TV industry has tremendous reach, deep into urban and rural areas. Because of its affordability and ubiquity, cable broadband could be, for India, a super-fast highway for broadband communications for most homes and businesses in the foreseeable future.

TRAI has carefully examined the varied and diverse opinions shared by the stakeholders of the Broadcasting sector on infrastructure sharing at the level of LCO to enable broadband services through the cable television infrastructure for last mile access. As mentioned in TRAI's recommendations on 'Roadmap to Promote Broadband Connectivity and Enhanced Broadband Speed' dated 31 August 2021, cable operators have an inherent strength in providing last mile access. The sheer reach of the cable network to large number of households renders this infrastructure both amenable and ideally suited to the delivery of broadband to a large segment of the population very quickly. Internationally, the growing convergence of cable broadcasting and broadband networks is being recognized. In many developed countries, broadband is, mainly delivered through the cable system. In India also, cable operators can play an important role in the delivery of broadband if an appropriate policy framework is put in place. For accelerated growth of cable broadband, a harmonized effort is required by the industry and the Government.

TRAI is of the opinion that sharing of infrastructure at cable operator level will facilitate broadband service in remote far-flung areas where it is difficult even for other big Internet Service Providers to develop their own infrastructure for effective broadband service. TRAI further noticed that provisioning of broadband and provisioning of Television content are dealt by two different licenses, one controlled by the Department of Telecommunications and other by Ministry of I&B.

The extant rules/ regulations for the use of cable television infrastructure for providing broadband require suitable review. A cable operator lays the network as per the rights available as per the Right of Way Rules under the Cable Television Networks (Regulation), Act 1995. In order to promote use of cable network for broadband services, Rules under the Cable Television Networks (Regulation), Act 1995, need to be suitably amended to encourage cable operators to provide last mile access to

ढ़ांचा डीएसएल की तुलना में विश्वसनीयता के साथ उच्च ब्रॉडबैंड गति प्रदान कर सकता है। भारत में, केबल टीवी उद्योग के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त पहुंच है। इसकी सामर्थ्य और सर्वव्यापकता के कारण, भारत के लिए केबल ब्रॉडबैंड निकट भविष्य में अधिकांश घरों व व्यवसायों के लिए ब्रॉडबैंड संचार के लिए एक सुपरफास्ट राजमार्ग हो सकता है।

ट्राई ने एलसीओ के स्तर पर बुनियादी ढ़ांचे के बंटवारे पर प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों द्वारा साझा की गयी विविध और विविध राय की सावधानीपूर्वक जांच की है ताकि केबल टेलीविजन बुनियादी ढ़ांचे के माध्यम से अंतिम मील तक पहुंच के लिए ब्रॉडबैंड सेवाओं को सक्षम किया जा सके। जैसाकि **31** अक्टूबर **2021** 'ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और एन्हांस्ड ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप पर ट्राई की सिफारिशों में उल्लेख किया गया है कि केबल ऑपरेटरों के पास लास्ट माइल एक्सेस प्रदान करने में एक अंतर्निहित ताकत है। बड़ी संख्या में घरों तक केबल नेटवर्क की व्यापक पहुंच इस बुनियादी ढ़ांचे को अनुकूल और आदर्श रूप से आबादी के एक बड़े हिस्से को बहुत जल्दी ब्रॉडबैंड की डिलीवरी के लिए उपयुक्त बनाती है। अंतरराष्ट्रीयस्तर पर, केबल प्रसारण और ब्रॉडबैंडड नेटवर्क के बढ़ते कन्वर्जस को मान्यता दी जा रही है। कई विकसित देशों में ब्रॉडबैंड मुख्यरूप से केबल सिस्टम के माध्यम से दिया जाता है। भारत में भी, केबल ऑपरेटर ब्रॉडबैंड की डिलीवरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, यदि इसके लिए एक उपयुक्त नीतिगत ढ़ांचा तैयार किया जाता है। केबल ब्रॉडबैंड के त्वरित विकास के लिए, उद्योग और सरकार द्वारा एक सामंजस्यपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है।

ट्राई की राय है कि केबल ऑपरेटर स्तर पर बुनियदी ढ़ांचे को साझा करने से दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा की सुविधा होगी, जहां अन्य बड़े इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए भी प्रभावी ब्रॉडबैंड सेवा के लिए अपना खुद का बनियदी ढ़ांचा विकसित करना मुश्किल है। ट्राई ने यह भी नोटिस किया है कि ब्रॉडबैंड का प्रावधान और टेलीविजन सामग्री का प्रावधान दो अलग–अलग लाइसेंसों द्वारा दिया जाता है, एक दूरसंचार विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है और दूसरा सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए केबल टेलीविजन अवसंरचना के उपयोग के लिए मौजूदा नियमों/विनियमों की उपयुक्त सामीक्षा की आवश्यकता होगी। एक केबल ऑपरेटर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम), अधिनियम **1995** के तहत 'राइट ऑफ वे' के मुताबिक उपलब्ध अधिकार के नियमों के अनुसार नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति देता है। ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए केबल नेटवर्क के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन), अधिनियम **1995** के तहत नियमों को उपयुक्त रूप से

service providers for provisioning of broadband services. Cable operators may be encouraged to provide last mile access for broadband services on fair, transparent and non-discriminatory basis.

It may be noted that TRAI in its Recommendations on "Ease of Doing Business in Broadcasting Sector" dated 26 February 2018 has already recommended that the registration of LCO and its renewal should be carried out through online portal and the period of registration for LCO should be increased to 5 years. This will promote ease of doing business for the LCO. However, action on these recommendations remains pending with the Government.

As mentioned earlier, previously MSO registrations were given for specific city, town, state or pan India in DAS notified areas as mentioned by the applicant MSO. However, MIB vide its circular dated 27th January, 201721 allowed MSOs to operate in any part of the country irrespective of their registration area. Thus, there is no restriction on the number of MSOs present in a particular market and multiple operators can exist in the same area. Similarly, the current registration regime for cable operators does not restrict the number of service providers in any locality/ area. The extent provisions thus cause no entry barrier to cable operators in any specific area.

It may be noted that as per Para 2.3 of CHAPTER-VIII of 'License Agreement for Unified License', for providing service, the Licensee may appoint Franchisee for setting up and operation of rural telephone exchanges and last mile linkages thereof. The licensee may also appoint Cable Operators registered under The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 and the amendments thereto, as Franchisee to use the last mile linkages in rural area provided by such Cable Operators. Para 2.4 of CHAPTER-VIII of above-mentioned license also mentions that the Licensee may provide internet service by using the Cable Network of authorized Cable Operator, as last mile linkage, subject to applicable Cable Laws (The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995) as modified from time to time. Further, para 24.4 of 'Licence Agreement for provision of Internet services', also mentions that Access to internet through authorised Cable Operator is permitted without additional licensing subject to applicable Cable Laws (The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995) as modified from time to time. Thus, cable operators (registered under Cable Television Networks (Regulation), Act 1995) are

संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि केबल ऑपरेटरों को ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रावधान के लिए सेवा प्रदाताओं को अंतिम मील तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। केबल ऑपरेटरों को निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए अंतिम छोर तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि ट्राई ने **26** फरवरी **2018** को 'प्रसारण क्षेत्र में व्यवसाय करने में आसानी' पर अपनी सिफारिशों में पहले ही सिफारिश की है कि एलसीओ का पंजीकरण और उसका नवीकरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाना चाहिए और एलसीओ के लिए पंजीकरण की अवधि को बढ़ाकर **5** साल वर्ष कर दिया गया। इससे एलसीओ के लिए कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, इन सिफारिशों पर कार्रवाई सरकार के पास लंबित है।

जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है कि पहले एमएसओ पंजीकरण विशिष्ट शहर, कस्बे, राज्य या अखिल भारत के लिए डीएएस अधिसूचित क्षेत्रों में दिया जाता था जैसाकि आवेदक एमएसओ द्वारा उल्लेख किया गया था। हालांकि, एमआईबी ने **27** जनवरी **2017** को अपने सर्कुलर के द्वारा एमएसओ को देश के किसी भी हिस्से में काम करने की अनुमति दी, चाहे उसका पंजीकरण क्षेत्र कुछ भी हो। इस प्रकार किसी विशेष बाजार में मौजूद एमएसओ की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है और एक ही क्षेत्र में कई ऑपरेटर मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह, केबल ऑपरेटरों के लिए मौजूदा पंजीकरण व्यवस्था किसी भी इलाके/क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं की संख्या को सीमित नहीं करती है। इस प्रकार सीमा प्रावधान किसी विशिष्ट क्षेत्र में केबल ऑपरेटरों के लिए नो एंट्री बैरियर का कारण बनते हैं।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि सेवा प्रदान करने के लिए एकीकृत लाइसेंस के लिए लाइसेंस समझौते के अध्याय **8** के पैरा **2.3** के अनुसार लाइसेंसधारी ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना, संचालन और उनके अंतिम मील लिंकेज के लिए फ्रेंचाइजी की नियुक्ति कर सकता है। लाइसेंसधारी केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, **1995** और उसके संशोधनों के तहत पंजीकृत केबल ऑपरेटरों को ऐसे केबल ऑपरेटरों द्वारा प्रदान किये गये ग्रामीण क्षेत्र में अंतिम मील लिंकेज का उपयोग करने के लिए फ्रेंचाइजी के रूप में नियुक्त कर सकता है। उपयुक्त लाइसेंस का अध्याय **8** के पैरा **2.4** में यह उल्लेख है कि लाइसेंसधारी अधिकृत केबल ऑपरेटर के केबल नेटवर्क का उपयोग करके अंतिम मील लिंकेज के रूप में, लागू केबल कानूनों (केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम **1995** के अधीन जिसे कि समय समय पर संशोधित किया जायेगा, इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकता है।)इसके अलावा 'इंटरनेट सेवाओं के प्रावधान के लिए लाइसेंस समझौते' के पैरा **24.4** में यह भी उल्लेख है कि अधिकृत केबल ऑपरेटर के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंच की अनुमति अतिरिक्त लाइसेंस के बिना लागू केबल कानूनों (केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम **1995**) के अधीन है, जिसे कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है। इस प्रकार, केबल ऑपरेटर

authorized to provide last mile access to telecom operator(s) (Telecom service providers, Internet service providers, etc.), for provisioning of broadband services without requiring any further registration.

RECOMMENDATION OF THE AUTHORITY

The Authority recommends that the Government may take suitable measures to facilitate and promote sharing of cable infrastructure by Local cable operator with Telecom Service Providers to enable last mile for provision of broadband services. The Government may issue necessary amendments to existing rules/ guidelines, to enable use of last mile infrastructure created by cable operator by TSPs for promoting broadband connections.

The Government may amend the rules under the Cable Television Networks (Regulation), Act 1995 to explicitly indicate the following:

> "*Cable operators may strive to provide last mile access to Access service providers/Internet Service Providers in a fair, transparent and non-discriminatory manner for proliferation of broadband services.*"

ISSUES RELATED TO MERGER & ACQUISITION, VERTICAL INTEGRATION AND HORIZONTAL INTEGRATION

During the consultation process, TRAI had sought views of the stakeholders on the following:

> "*Is there a need to recommend cross-holding restrictions amongst various categories of DPOs/ service providers? Do give detailed justification supporting the comments.*"

In this regard, many stakeholders replied affirmatively that there is a need to recommend cross-holding restrictions amongst various categories of DPOs/ service providers. A broadcaster opined that any direct or indirect ownership, whatsoever, of broadcasters in cable distributor network, or vice versa should be scrutinized by the regulator for misuse of market dominance and should also be brought in the public domain by way of mandatory disclosures. TRAI should prescribe strict measures against 'Horizontal Integration' between MSOs in the same relevant market. At any given time, there must be minimum three MSOs operating in any relevant market and same number of last mile operators operating in sub-area of the relevant market.

Similarly, another broadcaster suggested that there is a need to regulate certain unhealthy practices/issues in Cable TV services due to the existence of cross-holding in

(केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन), अधिनियम **1995** के तहत पंजीकृत) बिना आवश्यकता के ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रावधान के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों (दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं आदि) को अंतिम मील तक पहुंच प्रदान करने के लिए किसी अतिरिक्त पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

प्राधिकरण की सिफारिश

प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि सरकार ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रावधान के लिए लास्ट माइल को सक्षम करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ स्थानीय केबल ऑपरेटर द्वारा केबल बुनियादी ढ़ांचे को साझा करने और बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त उपाय कर सकती है। सरकार मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधन जारी कर सकती है, ताकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए टीएसपी द्वारा केबल ऑपरेटर द्वारा बनाये गये लास्ट माइल के बुनियादी ढ़ांचे का उपयोग किया जा सके।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम), अधिनियम **1995** के तहत सरकार निम्नलिखित नियमों को स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिए नियमों में संशोधन कर सकती हैः

> *'केबल ऑपरेटर ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से एक्सेस सेवा प्रदाताओं/इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को लास्ट माइल तक पहुंच प्रदान करने का प्रयास कर सकते हैं।'*

विलय और अधिग्रहण, वर्टिकल एकीकरण और हॉरिजांटल एकीकरण से संबंधित मुद्दे

परामर्श प्रक्रिया के दौरान, ट्राई ने निम्नलिखित पर हितधारकों से विचार मांगे थेः

> *"क्या डीपीओ/सेवा प्रदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के बीच क्रॉस होल्डिंग प्रतिबंधों की सिफारिश करने की आवश्यकता है? टिप्पणियों का समर्थन करते हुए विस्तृत औचित्य दें।*

इस संबंध में कई हितधारकों ने सकारात्मक उत्तर दिया है कि डीपीओ/सेवा प्रदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के बीच क्रॉस-होल्डिंग प्रतिबंधों की सिफारिश करने की आवश्यकता है। एक प्रसारक का मत था कि केबल वितरक नेटवर्क में प्रसारकों के किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व, या इसके विपरीत बाजार प्रभुत्व के दुरूपयोग के लिए नियामक द्वारा जांच की जानी चाहिए और अनिवार्य प्रकटीकरण के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में भी लाया जाना चाहिए। ट्राई को उसी प्रासंगिक बाजार में एमएसओ के बीच हॉरिजांटल एकीकरण के खिलाफ सख्य उपाय निर्धारित करने चाहिए। किसी भी समय, किसी भी प्रासंगिक बाजार में कम से कम तीन एमएसओ और संबंधित बाजार के उप-क्षेत्र में काम करने वाले लास्ट माइल ऑपरेटरों की समान संख्या होनी चाहिए।

इसी प्रकार एक अन्य प्रसारक ने सुझाव दिया कि इस क्षेत्र में वर्टिकल व हॉरिजांटल रूप से क्रॉस होल्डिंग के आस्तित्व के कारण केबल

the sector both vertically and horizontally. Even in advanced economies there are restrictions on cross-holding in media and entertainment given the sensitive nature of this sector. Another broadcaster believed that there is a need to check horizontal integration. Many stakeholders emphasized that cross-holding of both Horizontal and Vertical, among various categories of service providers should be allowed with appropriate regulation.

On the other hand, many stakeholders believed that there is no need to recommend restrictions on cross-holding amongst various categories of DPOs/ service providers. Many MSOs commented that there is no evidence of monopoly/market dominance by any of the DPO, irrespective of 'vertical integration', 'horizontal integration' or otherwise. A DPO pointed out that MSO or the DPO cross-holding is already subject to market restriction which is covered under the laws such as Companies Act 2013, and is also under purview of various regulators such as Competition Commission of India and SEBI. Thus imposing further restrictions will only curtail business synergies and affect the ease of doing business. A DTH operator was of the opinion that no Cross-Media restrictions must be imposed on any Distribution platform. Any such restriction only stifles growth of the sector and, it works against convergence and economies of scale. If no such restriction is being imposed on other platforms and OTT, then it ought to be removed for DTH as well.

TRAI'S COMMENTS AND ANALYSIS

In this regard, it may be noted that TRAI, on the references of Ministry of Information & Broadcasting (MIB), has initiated consultations and has come up with recommendations on various issues related to media ownership.

i) TRAI received an initial reference dated 22nd May 2008, from MIB seeking recommendations of TRAI for formulating a policy imposing restrictions on ownership of companies seeking licenses/ permissions/registrations under various policy guidelines.

ii) TRAI gave its recommendations dated 25th February 2009 wherein TRAI recognized the need to establish requisite safeguards for dissemination of unbiased and impartial information and promote pluralism and diversity. TRAI recommended that MIB should perform a detailed market study to determine such safeguards. It was also recommended that guidelines for M&A should be notified after the requisite

टीवी सेवाओं में से कुछ अस्वास्थ्यकर प्रथाओं/मुद्दों को विनियमित करने की आवश्यकता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भी इस क्षेत्र की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए मीडिया और मनोरंजन में क्रॉस होल्डिंग पर प्रतिबंध है। एक अन्य प्रसारक का मानना था कि हॉरिजांटल एकीकरण की जांच करने की आवश्यकता है। कई हितधारकों ने इस बात पर जोर दिया कि सेवा प्रदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के बीच हॉरिजांटल व वर्टिकल दोनों की क्रॉस होल्डिंग को उचित विनियमन के साथ अनुमति दी जानी चाहिए।

दूसरी ओर कई हितधारकों का मानना था कि डीपीओ/सेवा प्रदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के बीच क्रॉस होल्डिंग पर प्रतिबंध की सिफारिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई एमएसओ ने टिप्पणी की कि 'वर्टिकल एकीकरण' 'हॉरिजांटल एकीकरण' या अन्यथा किसी भी डीपीओ द्वारा एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व का कोई सबूत नहीं है। एक डीपीओ ने बताया कि एमएसओ या डीपीओ क्रॉस होल्डिंग पहले से ही बाजार प्रतिबंध के अधीन है जो कि कंपनी अधिनियम **2013** जैसे कानूनों के तहत कवर किया गया है और यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और सेबी जैसे विभिन्न नियामकों के दायरे में भी है। इस प्रकार और प्रतिबंध लगाने से केवल व्यापारिक तालमेल कम होगा और व्यापार करने में आसानी प्रभावित होगी। एक डीटीएच ऑपरेटर की राय थी कि किसी भी वितरण प्लेटफॉर्म पर कोई क्रॉस मीडिया प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। ऐसा कोई प्रतिबंध किसी क्षेत्र के विकास को रोकता है और यह कन्वर्जंस और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ काम करता है। यदि अन्य प्लेटफॉर्म और ओटीटी पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है तो इसे डीटीएच के लिए भी हटा दिया जाना चाहिए।

ट्राई की टिप्पणियां और विश्लेषण

इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि ट्राई ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय (आईएंडबी) के संदर्भ में, परामर्श शुरू किया है और मीडिया स्वामित्व से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशों के साथ आया है।

1) ट्राई को विभिन्न नीति दिशा-निर्देशों के तहत लाइसेंस/अनुमति/पंजीकरण की मांग करने वाली कंपनियों के स्वामित्व पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नीति तैयार करने के लिए ट्राई की सिफारिशों की मांग करते हुए एमआईवी से दिनांक **22** मई **2008** को प्रारंभिक संदर्भ प्राप्त हुआ था।

2) ट्राई ने **25** फरवरी **2009** को अपनी सिफारिशें दी, जिसमें ट्राई ने निष्पक्ष और निष्पक्ष जानकारी के प्रसार और बहुलवाद व विविधता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को स्थापित करने की आवश्यकता को मान्यता दी। ट्राई ने सिफारिश की थी कि ऐसे सुरक्षा उपायों को निर्धारित करने के लिए एमआईवी को एक विस्तृत बाजार अध्ययन करना चाहिए। यह भी सिफारिश की गयी कि हॉरिजांनटल व वर्टिकल एकीकरण के लिए आवश्यक सुरक्षा

safeguards for horizontal and vertical integration are put in place.

iii) Thereafter, in 2009, a study on the nature and extent of cross media ownership was conducted by MIB through Administrative Staff College of India (ASCI) which reported the presence of evidence indicating market dominance in certain relevant media markets.

iv) Again, on 16th May 2012, the MIB vide a reference, requested TRAI to review the issue of vertical integration in the broadcasting and TV distribution sector and suggest measures to address the issue of vertical integration to ensure fair growth of the Broadcasting sector. Further, it called upon TRAI to suggest measures on cross media ownerships with an aim of facilitating plurality of news and opinions and accessibility of quality services.

v) After due consultation, on 12th August 2014, TRAI issued "Recommendations on Issues Relating to Media Ownership."

Now, TRAI has received another reference from the MIB vide letter no. No.8/17/2014-BP&L dated 19th February 2021. MIB has sought reconsideration of 2014 Recommendations of TRAI on certain points. As observed by MIB considerable time has elapsed since the said recommendations were made and during this period M&E landscape has changed drastically, particularly with the advent of new digital technologies in the sector. MIB has requested TRAI to re-examine its recommendations in the light of the subsequent technological developments in the media industry and issue a fresh set of recommendations in this regard.

In view of above, TRAI has already initiated the process to address the related to vertical integration, horizontal integration and M&A. Accordingly issues pertaining to vertical integration, horizontal integration and M&A are being dealt through a separate consultation process.

OTHER ISSUES

As per extant Cable TV Rules, a cable operator, desirous of providing cable TV services has to apply for registration/renewal of registration to the Head Post Master of the Head Post Office of the area concerned. At present the process of registration as well as renewal of registration are manual. The Cable operator is required to fill-up a

उपायों को लागू करने के लिए एमएंडए के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया जाना चाहिए।

3) उसके बाद, **2009** में एमआईबी द्वारा भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज (एएससीआई) के माध्यम से क्रास मीडिया स्वामित्व की प्रकृति और सीमा पर एक अध्ययन किया गया था, जिसमें कुछ प्रासंगिक मीडिया बाजारों में बाजार प्रभुत्व का संकेत देने वाले साक्ष्य की उपस्थिति की सूचना दी गयी थी।

4) फिर से, **16** मई **2012** को एमआईबी ने एक संदर्भ के माध्यम से ट्राई से प्रसारण व टीवी वितरण क्षेत्र में वर्टिकल एकीकरण के मुद्दे की समीक्षा करने और प्रसारण क्षेत्र के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए वर्टिकल एकीकरण के मुद्दे को संबोधित करने के उपायों का सुझाव देने का अनुरोध किया। इसके अलावा, इसने ट्राई से समाचार व राय की बहुलता व गुणवत्ता सेवाओं की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से क्रॉस मीडिया स्वामित्व पर उपाय सुझाने का आहवान किया।

5) उचित परामर्श के बाद, **12** अगस्त **2014** को ट्राई ने 'मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दों' पर सिफारिश जारी की।

अब ट्राई को एमआईबी से पत्र संख्या **8/17/2014**–बीपी एंड एल दिनांक **19** फरवरी **2021** के माध्यम से एक और संदर्भ प्राप्त हुआ है। एमआईबी ने कुछ विंदुओं पर ट्राई की **2014** की सिफारिशों पर पुर्नविचार करने की मांग की है। जैसाकि एमआईबी द्वारा देखा गया है कि उक्त सिफारिशें किये जाने के बाद से काफी समय बीत चुका है और इसी अवधि के दौरान एमएंडई परिदृश्य में काफी बदलाव आया है, खासकर इस क्षेत्र में नयी डिजिटल तकनीकियों के आगमन के साथ। एमआईबी ने ट्राई से मीडिया उद्योग के बाद के तकनीकी विकास के आलोक में अपनी सिफारिशों की फिर से जांच करने और इस संबंध में सिफारिशों का एक नया सेट जारी करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ट्राई ने पहले ही वर्टिकल एकीकरण, हॉरिजांटल एकीकरण और एमएंडए से संबंधित मामलों को संबोधित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अनुसार, वर्टिकल एकीकरण, हॉरिजांटल एकीकरण और एमएंडए से संबंधित मुद्दों को एक अलग परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जा रहा है।

अन्य मामले

मौजूदा केबल टीवी नियमों के अनुसार, केबल टीवी सेवा प्रदान करने के इच्छुक केबल ऑपरेटर को संबंधित क्षेत्र के प्रधान डाकघर के हेड पोस्ट मास्टर को पंजीकरण/पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करना होगा। वर्तमान में पंजीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ पंजीकरण के नवीकरण की प्रक्रिया मैनुअल है। केबल ऑपरेटरों को व्यक्तिगत रूप से

physical application form and to submit it to the concerned Head Post Office along with the requisite documents and requisite fee as provided in the Cable TV Rules for registration/ renewal of registration. The process of issue of duplicate registration, wherever required, is also done manually.

As mentioned in TRAI's recommendations on "Ease of Doing Business in Broadcasting Sector" dated 26th February 2018, the manual process of registration and renewal of registration is quite cumbersome. It has inherent inefficiency and it causes delays in issuance of registration and renewal of registration to the cable operators. This has lead to situations where cable operators run their network without valid registrations. The Interconnection Regulations made by TRAI prescribes that multi system operator shall enter into interconnection agreement only with those cable operators who have valid registration. Better usage of ICT can enable smooth and hassle-free registration. Accordingly, TRAI had recommended that the registration of LCO and its renewal should be carried out through online portal. These recommendations are yet to implemented by MIB. TRAI is of the view that these recommendations should be implemented by MIB at the earliest.

SUMMARY OF RECOMMENDATIONS

In view of sufficient competition in the cable television distribution sector at present, the Authority recommends that there is no need to introduce any additional regulations or take any corrective measures to enhance the level of competition in cable TV distribution sector. However, developments may be monitored and intervention as felt necessary shall be considered at appropriate time.

The Authority recommends that the Government may take suitable measures to facilitate and promote sharing of cable infrastructure by Local cable operator with Telecom Service Providers to enable last mile for provision of broadband services. The Government may issue necessary amendments to existing rules/ guidelines, to enable use of last mile infrastructure created by cable operator by TSPs for promoting broadband connections.

The Government may amend the rules under the Cable Television Networks (Regulation), Act 1995 to explicitly indicate the following:

> "Cable operators may strive to provide last mile access to Access service providers/Internet Service Providers in a fair, transparent and non-discriminatory manner for proliferation of broadband services." ■

आवेदन पत्र भरना होता है और पंजीकरण/पंजीकरण के नवीकरण के लिए केबल टीवी नियमों में प्रदान किये गये अपेक्षित दस्तावेजों और अपेक्षित शुल्क के साथ संबंधित प्रधान डाकघर में जमा करना होता है। डुप्लीकेट पंजीकरण जारी करने की प्रक्रिया, जहां कहीं आवश्यक हो, व्यक्तिगत रूप से भी की जाती है।

जैसाकि **26** फरवरी **2018** को 'प्रसारण क्षेत्र में व्यवसाय करने में आसानी पर ट्राई की सिफारिशों में उल्लेख किया गया है कि पंजीकरण और पंजीकरण के नवीकरण की प्रक्रिया बेहद बोझिल है। इसमें अंतर्निहित अक्षमता है और यह केबल ऑपरेटरों को पंजीकरण जारी करने और पंजीकरण के नवीकरण में देरी का कारण बनता है। इससे ऐसी स्थितियां पैदा हुई है जहां केबल ऑपरेटर वैध पंजीकरण के बिना अपना नेटवर्क चलाते हैं। ट्राई द्वारा बनाये गये इंटरकनेक्शन विनियम यह निर्धारित करते हैं कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर केबल उन केबल ऑपरेटरों के साथ इंटरकनेक्शन समझौता करेगा जिसके पास वैध पंजीकरण है।

आईसीटी का बेहतर उपयोग सुगम और परेशानी मुक्त पंजीकरण को सक्षम कर सकता है। इसके अनुसार, ट्राई ने सिफारिश की थी कि एलसीओ पंजीकरण और उसका नवीकरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों को एमआईबी द्वारा लागू किया जाना बाकी है। ट्राई का विचार है कि इन सिफारिशों को एमआईबी द्वारा जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए।

सिफारिशों का सारांश

वर्तमान में केबल टेलीविजन वितरण क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, प्राधिकरण अनुसंशा करता है कि केबल टीवी वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के स्तर को बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त नियम लागू करने या कोई सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि घटनाक्रम की निगरानी की जा सकती है और उचित समय पर आवश्यक समझे जाने पर हस्तक्षेप पर विचार किया जायेगा।

प्राधिकरण अनुसंशा करता है कि सरकार ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रावधान के लिए लास्ट माइल को सक्षम करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ स्थानीय केबल ऑपरेटरों द्वारा केबल बुनियादी ढ़ांचे को साझा करने और बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त उपाय कर सकती है। सरकार मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधन जारी कर सकती है, ताकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए टीएसपी द्वारा केबल ऑपरेटरों द्वारा बनाये गये लास्ट माइल के बुनियादी ढ़ांचे का उपयोग किया जा सके।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन), अधिनियम, **1995** के तहत सरकार निम्नलिखित नियमों को स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिए नियमों में संशोधन कर सकती हैः

> 'केबल ऑपरेटर ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसारक के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से एक्सेस सेवा प्रदाताओं/इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अंतिम मील तक पहुंच प्रदान करने का प्रयास कर सकते हैं।' ■